डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2001—वैशाख 14, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ.-10-49/2001/वा.क./पांच (11).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक-2 सन् 1915) की धारा 18 की उपधारा 1 के खण्ड (ब) व सहपठित धारा 62 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड 5 (ड) (च) (छ) (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी के राजस्व जिलों में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापनों के लिए धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है कि जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रकाशित होने की तारीख से 7 दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा. किन्हीं भी ऐसी आपत्तियों या सुझावों पर जो प्रस्तावित प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा. अर्थात्-रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद जिलों में विदेशी शराब दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी नियम 2001.

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(एक) ये नियम राजस्व जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद,धमतरी में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियम 2001 कहा जायेगा.

(दो) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**—जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इन नियमों में,

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 से है.

(ख) 'विदेशी शराब' का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिनसे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट, स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, वोदका और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित है.

(ग) 'आबकारी वर्ष' का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है.

(घ) 'परिवार' का तात्पर्य और इसमें दम्पत्ति (पति या पत्नी), पुत्र, पुत्रियां और माता-पिता सम्मिलित हैं.

(ङ) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है.

(च) 'लायसेंस प्राधिकारी' का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है,

(छ) 'लायसेंस फीस' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (2) के खण्ड (ज) अधीन फुटकर विक्री दुकान से बिक्री के एकांतिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लायसेंस दिए जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है.

(ज) 'प्रतिभूति धनराशि' का तात्पर्य वार्षिक मात्र के 1/12वें भाग पर देय शुल्क के बराबर धनराशि से है, जिसे राज्य कोष में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में नगद जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् वापस किए जाने योग्य है.

(झ) 'न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा' का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लायसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की मात्रा से है.

(ञ) 'वार्षिक मात्रा ' से तात्पर्य किसी आबकारी वर्ष में मासवार प्रत्याभूत मात्रा के योग से है.

3. **फुटकर बिक्री से लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन—**

(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, विदेशी शराब को विक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें विनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा.

(ख) परिसर के बाहर उपयोग के लिए मुहरबंद बोतलों में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लायसेंस प्रपत्र (एफ एल 1-घ) में स्वीकृत किया जायेगा.

4. **फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या और स्थिति के निर्धारण की शक्ति**—राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लायसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी. दुकानों की स्थिति छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अधीन निर्मित सामान्य प्रयोग के नियमों के नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार होगी.

5. **लायसेंस की अवधि**—लायसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिए लायसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी. लायसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबन्धन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें.

6. **लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान**—लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के अग्रिम रूप से भुगतान करने पर लायसेंस स्वीकृत किया जाएगा.

7. **अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिए आवेदन—**

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लायसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लायसेंस प्राधिकारी दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेगा.

(ख) विदेशी शराब की फुटकर दुकानों जिनको लायसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची लायसेंस फीस, और प्रतिभूति राशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी.

(ग) लायसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन इस नियमावली के साथ संलग्न विहित प्रारूप में दिये जायेंगे.

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किए जाने वाला अंतिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक सात दिन से पूर्व न होगा.

आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें :—फुटकर विदेशी शराब की विक्री की दुकानों के लायसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी अर्थात्—

8. (क) भारत का नागरिक हो.

या

भागीदारी वाली फर्म के भागीदार जो भारत के नागरिक हो. दुकानों के आबंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा.

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो.

(ग) बकायादार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत आवकारी लायसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो.

(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा समन्वय रूप से अभिप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा अर्थात्—

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य प्रयोग के नियमों के नियम (1) के प्रावधानों के अनुकुल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता हैं अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है.

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है.

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत अथवा किसी संगीन एवं गैर जमानती अपराध में दंडित नहीं किया गया है.

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लायसेंस जारी होने के तीस दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधी पृष्ठभूमि या अपराधी इतिहास नहीं है.

(पांच) यह कि वहां किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्त्ता के या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड (3) में उल्लेखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो.

(छ:) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देता का बकाया नहीं है.

(ङ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी या सहायक आयुक्त, आबकारी के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करें. धरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी. आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा. अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा.

9. **लायसेंस के लिए जिला स्तरीय समिति**—विदेशी शराब के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी. समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्—

1. जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
2. आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी.	सदस्य
3. जिले का जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त.	सदस्य/सचिव

10. **लायसेंसधारी का चयन**—

(क) जिला आबकारी अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त

रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा.

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से अनुज्ञापियों का चयन करेगी. यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए एक से अधिक आवेदकों के मामले में उपयुक्त पाये गये सभी आवेदकों में से समिति ऐसी दुकान के लिए अनुज्ञापी का चयन सार्वजनिक लाटरी से करेगी. यदि चयनित आवेदक निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा, तो लायसेंस प्राधिकारी आबंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा.

(ग) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हो या दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाय तो लायसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा.

(घ) लायसेंस प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी दुकान अथवा दुकानों हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकेगा.

11. **व्यवस्थापित की गई दुकानों का विवरण**—सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन के अंदर व्यवस्थापित की गई दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते, प्रतिभूति धनराशि एवं लायसेंस फीस के रूप में जमा की गई राशि का विवरण होगा.

12. **लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान**— यदि किसी आवेदक को लायसेंसधारियों के रूप में चयनित किया जायेगा तो वह अपने चयन की सूचना पाने के तीन दिन के अंदर सम्पूर्ण लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करेगा. यदि वहां विहित समय में लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि की राशि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन निरस्त हो जायगा, और उसकी धरोहर धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जायेगा, और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा. व्यतिक्रमीं को भविष्य में प्रदेश में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा. इस नियम के अंतर्गत जैसे-व्यतिक्रमियों की समेकित सूची, उनके पूरे पते सहित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी जो राज्यों की समेकित सूची को राज्य के सभी लायसेंस प्राधिकारियों को प्रचारित करेगा.

13. **शराब का उठान**—

(क) इन नियमों के अधीन लायसेंसधारी विदेशी मदिरा के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अंतर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहित किये जायें, करने के पश्चात् किसी थोक लायसेंसधारी से विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा. लायसेंसधारी मांग-पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व थोक लायसेंसी को प्रस्तुत करेगा, जिससे वहां विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है.

(ख) थोक आपूर्तक जिसके पास मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है, प्राप्ति का समय व तिथि अंकित करेगा तथा मांगी गई शराब की मात्रा की आपूर्ति मांगपत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेगा.

14. **मास के लिए निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा के उठान और विफलता के परिणाम**—

(क) लायसेंसधारी उस मास के दौरान सम्पूर्ण न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने के लिए दायी है. लायसेंसधारी मूल्यों के साथ जिसमें सभी शुल्क, कर और उपकर सम्मिलित है, उस मास के लिए निर्धारित सम्पूर्ण मात्रा के लिए मांगपत्र तैयार करेगा जिससे मास के 25वें दिन तक थोक लायसेंसधारी को प्रस्तुत करना होगा.

(ख) यदि फुटकर लायसेंसधारी खण्ड-(क) के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेगा तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त तत्काल लायसेंस प्राधिकारी को मामले की आख्या देगा जो अनुज्ञापन को निलंबित कर देगा और मास के लिए निर्धारित यूनतम मासवार प्रत्याभूति मात्रा में से न उठाये गये मांग पर उद्ग्रहणीय शुल्क की धनराशि की प्रतिभूति की धनराशि में से समायोजित करेगा और मास के अंत तक अनुज्ञापी को एक नोटिस जारी करेगा कि वे एक सप्ताह के भीतर प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी की पुनः पूर्ति करे और कारण बताये कि क्यों न उसका लायसेंस निरस्त कर दिया जाय. यदि अनुज्ञापित प्रतिभूति धनराशि से आयी कमी की धनराशि को जमा करने में विफल रहेगा और नियत समय के भीतर अपना उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करेगा तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा और लायसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु तुरन्त कदम उठायेगा.

15. **न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा का उठान—**
अनुज्ञापी उस मास की न्यूनतम मासवार प्रत्याभूति मात्रा से अधिक मात्रा का उठान करना चाहता है तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त की अनुमति से अतिरिक्त शुल्क भुगतान करेगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय.

16. अधिकतम फुटकर मूल्य विदेशी शराब की बोतलों के लेबलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा. लायसेंसधारी बोतलों के लेबिलों पर अंकित मूल्यों से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा.

17. **बिक्री की अवधि और दुकानों की बंदी—** अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) होली, मुहर्रम और लायसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी के लिए यथा अधिसूचित 3 और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिवसों पर प्रात: 10.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा. लायसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के सुसंगत कानूनों के प्रावधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है. उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा.

18. **लायसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का निस्तारण—**
लायसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर विदेशी शराब की अतिशेष और अबिक्री मात्रा की घोषणा लायसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी. और लायसेंस की समाप्ति के अगले दिवस के 5.00 बजे शाम तक संबंधित थोक विक्रेताओं को उसके द्वारा लौटा दी जायेगी. लायसेंसधारी केवल क्रय मूल्यों जिसमें शुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा. ऐसी स्टाक का निस्तारण थोक अनुज्ञापी द्वारा उस संबंध में आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप किया जायेगा.

19. **अनुज्ञापन का अभ्यर्पण—**अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लायसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक माह की लिखित नोटिस देकर कर सकता है. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लायसेंस प्राधिकारी उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देय की वसूली करने की कार्यवाही करेगा और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि वापस करेगा. लायसेंस प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पूर्ण व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा.

20. **अनुज्ञापन का निलंबन और निरस्तीकरण—**

(1) लायसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलंबित या निरस्त कर सकता है—

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल पाई जाती है जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में यथा-सेक्युरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है.

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार का शराब या मादक औषधि (जिसके लिए अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है.

(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है.

(घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दंडित पाया जाता है, और

(ङ) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल पाई जाती है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है.

(च) यदि अनुज्ञापी किसी मास के दौरान न्यूनतम माहवार प्रत्याभूति मात्रा उठाने में विफल रहता है अथवा प्रतिभूति राशि में आयी कमी को निर्धारित अवधि में पूरा करने में विफल रहता है.

(2) ऊपर उल्लेखित आधार पर लायसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलंबित कर देगा और जमा प्रतिभूति को जप्त कर लेगा. लायसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लायसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा. तत्पश्चात् लायसेंस प्राधिकारी लायसेंसधारी को यदि वहां जैसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा.

(3) लायसेंसधारी इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा.

(4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाता है तो लायसेंसधारी को कालीसूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे भविष्य में कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है.

21. **निरसन—**

इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्ण प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुए भी कोई आदेश या कार्यवाही जो विदेशी शराब के दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए पहले से की गई हो, विधिमान्य रहेगी.

विदेशी मदिरा-(एफ एल 1-घ)

परिसर पर और उसके बाहर उपयोग के लिए मुहरबंद बोतलों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए लायसेंस

लायसेंस संख्या . . . .
जिला . . . .
मुहल्ला . . . .
लायसेंस फीस रुपये . . . . (अंकों में)
. . . . (शब्दों में)

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)
उत्तर . . . .
दक्षिण . . . .
पूर्व . . . .
पश्चिम . . . .

नाम, पिता का नाम एवं लायसेंसधारक का पता—
1. . . . . पुत्र . . . .
निवासी . . . .
2. . . . . पुत्र . . . .
निवासी . . . .

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते—
1. . . . . पुत्र . . . .
निवासी . . . .
2. . . . . पुत्र . . . .
निवासी . . . .
3. . . . . पुत्र . . . .
निवासी . . . .

4. . . . . पुत्र . . . .
निवासी . . . .

परिसर के बाहर उपयोग के लिए (बीयर और वाइन को छोड़कर) मानक क्वार्ट बोतलों (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) और पौवा (180 मि.ली.) में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए लायसेंस एतद्द्वारा उपयुक्त लायसेंसधारकों को जनपद . . . . के अंतर्गत . . . . (स्थान) पुलिस थाना . . . . तहसील . . . . के लिए दिनांक . . . . से 31 मार्च, 20 . . . . हेतु जिसके लिए नियम 6 के अनुसार लायसेंस फीस और धरोहर धनराशि जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है.

यह लायसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्त के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है. उसमें से किसी का अतिक्रमण करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 150 की विधियों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लायसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लायसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समर्पण किये जाने के लिए दायी होगा.

सामान्य और विशेष शर्तें

1. लायसेंसधारी विदेशी मदिरा थोक लायसेंसधारक (विदेशी मदिरा 10) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति को समय-समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों, शुल्क, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा.
2. विदेशी मदिरा के बोतलों अर्थात् क्वार्ट, अद्धा और पौवा के लेबलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा. फुटकर लायसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्यों से अधिक नहीं वसूल करेगा.
3. अनुज्ञापित परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए लिये जायेगी. कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नहीं की जायेगी.
4. किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी. 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी.
5. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात् क्वार्ट, अद्धा और पौवा में बिक्री की जायेगी. और जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम या सुरक्षात्मक होलोग्राफिक श्रृंक स्लिप लगे हुए होंगे.
6. लायसेंसधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा. और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा.
7. लायसेंसधारी विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भंडारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा.
8. (क) लायसेंसधारक को महिने के अंत तक लायसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत की गई सम्पूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाना होगा. महिने के अंतिम कार्य दिवस को बिना उठाये गये मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा.
   (ख) विदेशी शराब की निर्धारित सम्पूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिए समय-समय पर उद्ग्रहणीय सभी करों, शुल्कों, उपकरों को सम्मिलित करते हुए मदिरा के लागत मूल्यों का भुगतान कर मांगपत्र मास की 25 तारीख तक थोक लायसेंसधारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.
   (ग) यदि फुटकर लायसेंसधारक उपरोक्तानुसार माह के 25 तारीख तक मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है तो सहायक आयुक्त, आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तुरन्त मामले की रिपोर्ट लायसेंस प्राधिकारी को करेंगे. इसके उपरांत लायसेंस प्राधिकारी लायसेंस को निलंबित कर मांगपत्र प्रस्तुत न किये गये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समतुल्य अभिकर की धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए लायसेंसधारी को प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी को एक सप्ताह के अंदर पूर्ति करने तथा कारण बताने की नोटिस जारी करेंगे. यानि अनुज्ञापी निर्धारित अवधि के अंदर प्रतिभूति की राशि को पूर्ण करने में असफल होता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनका अनुज्ञापन स्वत: निरस्त हो जावेगा. इसके उपरांत लायसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे.
9. लायसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड लगायेगा जिसके ऊपर लायसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि, और लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी.
10. लायसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो.

11. लायसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित आधिपत्य की सीमा से अधिक विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा.

12. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा.

13. लायसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और उनके लेबलों, सुरक्षा होलोग्राम/स्लीव, पिलफर, प्रूफ कैप, (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगाड़ करना, बिक्री करना सर्वथा निषिद्ध है.

14. लायसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाश्नी) रंग सुगंधि/अर्क होलोग्राम/श्रृंक स्लीव, लेबल, कैपसूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा.

15. सिवाय लायसेंसधारी/विक्रेता और उनके परिसर जिसमें दुकान स्थित है का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा.

16. लायसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है. द्युत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है.

17. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्तंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली; मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसे कि लायसेंस प्राधिकारी द्वारा बंद के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे प्रातः से लेकर 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा. लायसेंस प्राधिकारी संसुगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बंदी के आदेश दे सकता है. उक्त कारणों से दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा.

18. विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए की लायसेंस दिया गया है, लायसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

19. लायसेंसधारी अनुज्ञा की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निस्तारण के लिए लायसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम 17 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा.

दिनांक . . . .

लायसेंस प्राधिकारी

जिला . . . .

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री परिसर से बाहर उपभोग के लिए अनुज्ञापन हेतु आवेदन-पत्र

[नियम 7 (ग)]

पंजीकरण संख्या . . . . आबकारी वर्ष . . . .
(कार्यालय द्वारा भरा जाये)

आवेदित दुकान का विवरण

1. जिला का नाम . . . .
2. दुकान का नाम . . . . तहसील . . . .
   थाना . . . .
3. अनुज्ञापन शुल्क (रु.) . . . . (शब्दों में)
   . . . . (अंकों में)
4. धरोहर धनराशि (रु.) . . . . (शब्दों में)
   . . . . (अंकों में)
5. प्रतिभूति धनराशि (रु.) . . . . (शब्दों में)
   . . . . (अंकों में)

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आयु लिंग-पुरुष/महिला

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो.

4. स्थायी पता	5. वर्तमान पता
मकान नंबर	मकान नंबर
मोहल्ला/ग्राम	मोहल्ला/ग्राम
थाना	थाना
तहसील	तहसील
जनपद/राज्य	जनपद/राज्य
दूरभाष	दूरभाष

6. जमा धरोहर धनराशि का विवरण—
(अ) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व दिनांक ....
(ब) बैंक का नाम ....

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णत: सही है. यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाय तो मेरा/हमारा प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर धनराशि जप्त करने योग्य होगी. यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरांत असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी/हमारी लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जप्त करने योग्य होगी. मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूं/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है.

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(सतिथि)

संलग्नक—
1. धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट.
2. आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र

प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री
निवासी ....
का विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान .... हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट व शपथ-पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक .... पर दर्ज किया गया.

दिनांक
द्वारा
समय

कार्यालय सील

सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी/
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ.-10-49/2001/वा.क./पांच (12).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18 की उपधारा 1 खण्ड ब व सहपठित धारा 62 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ङ) (च) (छ) (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी के राजस्व जिलों में देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापनों के लिये धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों को जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है कि जानकारी के लिये निम्नलिखित प्रारूप प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रकाशित होने के तारीख से 7 दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा. किन्हीं भी ऐसी आपत्तियों या सुझावों पर जो प्रस्तावित प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा. अर्थात् रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी व महासमुंद जिलों में देशी शराब दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी प्रारूप नियम 2001.

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

(एक) यह नियम छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद व धमतरी में देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियम 2001 कहा जायेगा.

(दो) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

2. **परिभाषायें**—जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इस नियम में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक सन् 1915) से है.

(ख) देशी शराब में देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है.

(ग) आबकारी वर्ष का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है.

(घ) परिवार का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित है.

(ङ) प्रपत्र का तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रपत्र से है.

(च) लाइसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है.

(छ) लाइसेंस फीस का तात्पर्य अधिनियम की धारा 18 सहपठित धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी शराब की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है.

(ज) न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत देशी शराब की मात्रा से है.

(झ) वार्षिक मात्रा का तात्पर्य किसी आबकारी वर्ष में मासवार प्रत्याभूत मात्रा के योग से है.

(ञ) प्रतिभूति धनराशि का तात्पर्य वार्षिक मात्रा के 1/12वें भाग पर देय शुल्क के समान धनराशि से है, जिसे राज्य कोष में ब्याज रहित प्रति-भूति के रूप में नगद जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है.

3. **फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन—**

(क) इन नियमों, उपबंधों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए देशी शराब की बिक्री के लिये फुटकर दुकान या इसमें विनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा.

(ख) परिसर के अन्दर और उसके बाहर दोनों ही प्रकार से उपभोग के लिये मुहरबंद बोतलों में देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र में स्वीकृत किया जायेगा.

4. **फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की शक्ति**— राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी. दुकानों की स्थिति समय-समय पर अधिनियम के अधीन निर्मित सामान्य प्रयोग के नियमों के नियम (1) के प्रावधानों अनुसार होगा.

5. लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी. लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर किया जा सकता है. जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें.

6. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राशि का भुगतान/लाइसेंस फीस के भुगतान और प्रतिभूति धनराशि के अग्रिम रूप में जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे.

7. **अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन**—

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस निमित आवेदन आमंत्रित करेंगे.

(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकानवार लाइसेंस फी, प्रतिभूति राशि और वार्षिक मात्रा सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी.

(ग) लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र प्रारूप समाचार पत्रों में दिये जायेंगे.

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अंतिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन से पूर्व न होगा.

8. **आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें**—फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी, अर्थात्—

(क) भारत का नागरिक हो या भागीदारी फर्म के भागीदार जो भारत के नागरिक हो.

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो.

(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो.

(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा.

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अधीन निर्मित सामान्य प्रयोग के नियमों के नियम (1) के प्रावधानों अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है.

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है.

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है, और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनकी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक एवं मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है.

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र लाइसेन्स जारी होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है.

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्त्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो.

(छ:) यह कि उस पर कोई शासकीय राशि का बकाया नहीं है.

(ङ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करे. धरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी. आवेदन के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा. अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे आवेदक को लौटा दिया जायेगा.

9. **लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति**—देशी शराब की फुटकर विक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(एक) जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त.	सदस्य
(तीन) जिले का जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त.	सदस्य

10. **लाइसेंसधारी का चयन**—

(क) जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा.

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में अनुज्ञापियों का चयन करेगी. यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिये एक या अधिक पात्र के मामलों में उपयुक्त पाये गये सभी आवेदनों में से समिति ऐसी दुकान के लिए अनुज्ञापी का चयन सार्वजनिक लाटरी से करेगी. यदि चयनित आवेदक निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा.

(ग) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं होगा या दुकान के लिये कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाएगा तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा.

(घ) लायसेंस प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी दुकान अथवा दुकानों हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकेगा.

11. **व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण**—जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त व्यवस्थापन के 15 दिन के अन्दर, व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते, दुकानवार वार्षिक मात्रा, प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा.

12. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि भुगतान**—यदि किसी आवेदक का लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जायेगा तो वह अपने चयन की सूचना पाने के तीन दिन के अन्दर लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि जमा करेगा. यदि वह निर्धारित समय में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा. व्यतिक्रमी को भविष्य में प्रदेश में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा. इस नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यतिक्रमियों की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रसारित करेगी.

13. **शराब का उठान**—

(क) इन नियमों के अधीन लाइसेंसधारी देशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर सीलिंग चार्ज आदि जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् किसी थोक, लाइसेंसधारी से मद्य भांडागार से देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा. लाइसेंसधारी मांगपत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व जिले में थोक लाइसेंसधारी/प्रदाय संविदाकार् को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है.

(ख) थोक आपूर्तक/प्रदाय संविदाकार (मद्य भांडागार) जिसके पास मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है, प्राप्ति का समय व तिथि अंकित करेगा तथा मांगी गई शराब की मात्रा की आपूर्ति मांगपत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेगा. मांगपत्र प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर यदि थोक आपूर्तक/प्रदाय संविदाकार मदिरा की आपूर्ति में असफल होता है तो फुटकर अनुज्ञापी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त को सूचित करेगा जो किसी अन्य थोक, लायसेंसधारी/प्रदाय संविदाकार से मदिरा की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा.

14. **मास के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और विफलता के परिणाम—**

(क) लाइसेंसधारी उस मास के दौरान सम्पूर्ण न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने के लिये दायी है. लाइसेंसधारी मूल्य के साथ जिसमें सभी शुल्क, कर और उपकर आदि सम्मिलित है, उस मास के लिये निर्धारित सम्पूर्ण मात्रा के लिये मांगपत्र तैयार करेगा जिसे मास के पच्चीसवें दिन तक थोक लाइसेंसधारी/प्रदाय संविदाकार को प्रस्तुत करना होगा.

(ख) यदि फुटकर लाइसेंसधारी खण्ड (क) के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेगा तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल लाइसेंस प्राधिकारी को मामले की आख्या देगा जो अनुज्ञापन को निलम्बित कर देगा और मास के लिये निर्धारित न्यूनतम मासवार प्रत्याभूति मात्रा में से न उठाये गये भाग पर उद्ग्रहणीय शुल्क की धनराशि प्रतिभूति की धनराशि में से समायोजित करेगा और मास के अंत तक अनुज्ञापी को एक नोटिस जारी करेगा कि वह एक सप्ताह के भीतर प्रतिभूति धनराशि में आयी कमी को पुनः पूर्ति करे और कारण बताये कि क्यों न उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय यदि अनुज्ञापी प्रतिभूति धनराशि से आयी कमी की धनराशि को जमा करने में विफल रहेगा और नियत समय के भीतर अपना उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करेगा तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु तुरन्त कदम उठायेगा.

15. **न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी शराब का उठान—**अनुज्ञापी उस मास के न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से 20 प्रतिशत अधिक सीमा तक शुल्क की उसी दर पर उठान कर सकता है, उससे अधिक मात्रा का उठान सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से देय अतिरिक्त शुल्क जैसा अधिरोपित किया जाय, के भुगतान करने पर ही किया जायेगा.

16. **अधिकतम फुटकर मूल्य—** देशी शराब के बोतलों के लेबलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा तथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा. लाइसेंसधारी बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा.

17. **बिक्री की अवधि और दुकानों की बंदी-**अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली, मुहर्रम, और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिवसों पर प्रातः 10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक बिक्री के लिये खुला रहेगा. लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के लिये संबंधित कानून के प्रावधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है. उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा.

18. **लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाफ का निस्तारण—** लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर देशी शराब के अतिशेष और अविक्रित मात्रा की घोषणा लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5 बजे शाम तक संबंधित थोक विक्रेता/प्रदाय संविदाकार को लौटा दी जायेंगी. लाइसेंसधारी केवल क्रय मूल्य सीलिंग चार्ज जिसमें शुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा. ऐसे स्टाक का निस्तारण इस संबंध में आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप किया जायेगा.

19. **अनुज्ञापन का अभ्यर्पण-**अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी उसको जमा प्रतिभूति के समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि वापस करेगा. लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा.

20. **अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण**—(1) लाइसेंस प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है—

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल पायी जाय, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है.

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है.) पाई जाती है.

(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ-पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है.

(घ) यदि अनुज्ञापी किसी मास के दौरान न्यूनतम माहवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने में विफल रहता है और प्रतिभूति राशि में आयी कमी को निर्धारित अवधि में पूरा करने में विफल रहता है.

(ङ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधियों मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दण्डित पाया जाता है, और

(च) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल पाई जाती है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है.

(2) ऊपर उल्लिखित आधार पर लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति को जब्त कर लेगा. लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिये कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण यदि वह चाहे तो नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा. तत्पश्चात्, लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा.

(3) लाइसेंसधारी, इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलंबन या निरस्तीकरण के लिये किसी प्रतिकर या वापसी के दावा करने का हकदार नहीं होगा.

(4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है.

21. निरसन—

(1) इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुए भी कोई आदेश या कार्यवाही जो देशी शराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिये पहले से की गई हो, विधिमान्य रहेगी.

देशी शराब 6
(नियम-10)

परिसर पर और उसके बाहर उपभोग के लिये मुहरबंद बोतलों में सादा एवं मसालेदार मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस.

लाइसेंस संख्या .... वर्ष ....
मोहल्ला .... जिला ....
लाइसेंस फीस रुपया ....(अंको में) ....(शब्दों में)
वार्षिक मात्रा (बल्क लीटर में) ....
न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा (देशी शराब मसालेदार के बल्क लीट्र के रूप में)

क्रम संख्या (1)	मास (2)	न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा (3)
1.	अप्रैल	
2.	मई	

(1)	(2)	(3)
3.	जून	
4.	जुलाई	
5.	अगस्त	
6.	सितम्बर	
7.	अक्टूबर	
8.	नवम्बर	
9.	दिसम्बर	
10.	जनवरी	
11.	फरवरी	
12.	मार्च	

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर . . . .

दक्षिण . . . .

पूरब . . . .

पश्चिम . . . .

नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारक का पता

1. . . . . पुत्र . . . . .निवासी . . . .

2. . . . . पुत्र . . . . .निवासी . . . .

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1. . . . . पुत्र . . . . .निवासी . . . .

2. . . . . पुत्र . . . . .निवासी . . . .

3. . . . . पुत्र . . . . .निवासी . . . .

4. . . . . पुत्र . . . . .निवासी . . . .

25 यू. पी. की मसालेदार देशी शराब एवं 50 यू. पी. की सादी देशी शराब की मानक बोतल, अद्धा और पौवा के फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारकों को जिला . . . . के अंतर्गत . . . . (स्थान) पुलिस थाना . . . . तहसील के लिये दिनांक . . . . से 31 मार्च, 20 . . . . हेतु जिसके लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, लाइसेंस प्रदान किया जाता है.

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिये दायी होगा.

सामान्य और विशेष शर्तें

1. लाइसेंसधारक को महीने के अंत तक लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत की गई सम्पूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाना होगा. महीने के अंतिम कार्यदिवस को बिना उठाई गई मात्रा को समपहृत कर दिया जायेगा.

2. देशी शराब की निर्धारित संपूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिये समय-समय पर उदग्रहणीय सभी करों, शुल्कों, उपकरों को सम्मिलित करते हुए मदिरा के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान पर मांगपत्र मास की 25 तारीख तक थोक लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

3. यदि फुटकर लाइसेंसधारक उपरोक्तानुसार माह की 25 तारीख तक मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी तुरन्त मामले की रिपोर्ट लाइसेंस प्राधिकारी को करेंगे. इसके उपरान्त लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित कर मांगपत्र प्रस्तुत न किये गये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के समतुल्य अभिकर की धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए लाइसेंसधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के अंदर पूर्ति करने तथा कारण बताने की नोटिस जारी करेंगे. यदि अनुज्ञापी निर्धारित अवधि में अन्दर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल होता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका अनुज्ञापन स्वत: निरस्त हो जायेगा इसके उपरान्त लाइसेंस प्राधिकारी दुकान की पुनर्व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

4. लाइसेंसधारी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से 20 प्रतिशत अधिक का उठान उसी अभिकर की दर पर कर सकता है. इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा का उठान जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से निर्धारित अभिकर की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने पर कर सकता है, जैसा समय-समय पर राज्य सरकार निर्धारित करें.

5. लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्ति को समय-समय पर उदग्रहणीय सभी करों, शुल्कों, उपकरों को सम्मिलित करते हुए मदिरा लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् जिले के देशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक/प्रदाय संविदाकार से प्राप्त कर सकता है. लाइसेंसधारी जिले के उस थोक लाइसेंसधारक/प्रदाय संविदाकार जिससे वह देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है, को कम से कम 72 घण्टे से पूर्व मांगपत्र प्रस्तुत करेगा. यदि थोक लाइसेंसधारक/प्रदाय संविदाकार, मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है मांगपत्र प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर देशी शराब की आपूर्ति करने में विफल रहता है तो लाइसेंसधारी को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त से संपर्क करना होगा, जो कि ऐसे मांगपत्र की प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर देशी शराब के सम्भरण की व्यवस्था करेगा.

6. देशी शराब के बोतलों के लेबिलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा. फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा.

7. परिसर पर और उसके बाहर उपभोग के लिये मुहरबंद बोतलों में देशी स्प्रिट के बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी. परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा जहां केवल परिसर में उपभोग के लिये अनुमति होगी. परिसर में उपभोग के लिये भी खुली हुई स्प्रिट नहीं परोसा जायेगी.

8. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री मुहरबंद बोतलों, अद्धा, पौवों में की जायेगी जिन पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम या सुरक्षात्मक होलोग्राफिक श्रृंक स्लीव लगे हुए होंगे.

9. लाइसेंसधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक हिसाब रखेगा, और जब कभी निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जाय, स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा.

10. देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिये कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

11. अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), होली, मुहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंदी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोडकर बिक्री के लिये सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा. लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान की बंदी के आदेश दे सकता है. उक्त कारणों से दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा.

12. लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा.

13. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगायेगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, देशी शराब का अनुज्ञप्तिधारक फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेगी.

14. लाइसेंसधारी अनुज्ञापित परिसर के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित या निर्देशित पर्याप्त संख्या में बेंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था करेगा.

15. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/या छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो.

16. लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्तियों को 1.5 लीटर से अधिक देशी शराब नहीं बेचेगा.

17. किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 18 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो.

18. लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम/श्रृंक, स्लिव, पिलफर, प्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है.

19. लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), होलोग्राम/श्रृंक स्लिव, लेबुल, कैप्सुल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा.

20. लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिये दुकान को गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी के भीतर जहां विक्रय के लिये देशी शराब भंडारित की गयी है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है.

21. लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिये उसमें उसके नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा.

22. परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूडे के लिये विशेषत: निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटाकर डाल दिया जायेगा जिसे कि विक्रय हेतु निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा.

23. सिवाय लाइसेंसधारी/विक्रेता और उसके परिवार के परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा.

24. लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है. द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है.

25. लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निस्तारण के लिये लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे नियम 19 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा.

देशी मदिरा की (परिसर पर और उसके बाहर उपभोग के लिये) फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन देशी मदिरा हेतु आवेदन-पत्र

[नियम 7 (ग)]

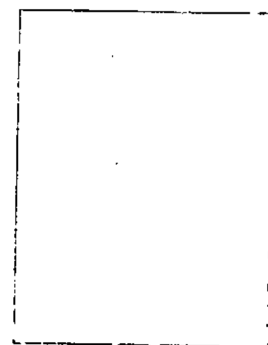
पंजीकरण संख्या . . . .   आबकारी वर्ष . . . .
(कार्यालय द्वारा भरा जाये)

आवेदित दुकान का विवरण

1. जिले का नाम . . . .
2. दुकान का नाम . . . . .तहसील . . . . थाना . . . .
3. अनुज्ञापन शुल्क (रु.) . . . . (अंकों में) . . . .
   . . . .(शब्दों में)
4. देशी मदिरा की वार्षिक मात्रा (ब. ली.)
5. धरोहर धनराशि (रु.) . . . .(अंकों में) . . . .
   . . . .(शब्दों में)
6. प्रतिभूति धनराशि (रु.) . . . .(अंकों में) . . . .
   . . . .(शब्दों में).

आवेदक का विवरण

(सह आवेदक की दशा में सह आवेदक का भी फोटो सहित क्रमांक 1 से 5 के अनुसार विवरण दिया जाये)



1. आवेदक का नाम . . . .
2. पिता/पति का नाम . . . .
3. आयु . . . . .लिंग-पुरुष/महिला

4. स्थायी पता	5. वर्तमान पता
मकान नम्बर	मकान नम्बर
मोहल्ला/ग्राम	मोहल्ला/ग्राम
थाना	थाना
तहसील	तहसील
जनपद/राज्य	जनपद/राज्य
दूरभाष	दूरभाष

6. जमा धरोहर धनराशि का विवरण
   अ. बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व दिनांक . . . .
   ब. बैंक का नाम . . . .

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णत: सही है. उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा/हमारा प्रार्थना-पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर धनराशि जब्त करने योग्य होगी. यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा

अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी/हमारी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी. मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूं/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है.

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(सतिथि)

संलग्न—

1. धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट
2. आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र

प्रार्थना-पत्र प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .पुत्र/पत्नी/पुत्री . . . . .निवासी . . . . का देशी मदिरा की फुटकर दुकान . . . . .हेतु प्रार्थना-पत्र धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट व शपथ-पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक .पर दर्ज किया गया.

दिनांक . . . .

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

समय . . . .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.